राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (दिव्यांग), सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हि॰ प्र॰ के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 4/2006 से 3/2016

भाग – एक

1 गत अंकेक्षण प्रतिवेदन :–

राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (दिव्यांग), सुन्दरनगर के लेखाओं का अन्तिम अंकेक्षण विभाग द्वारा अवधि 04/2002 से 03/2006 तक के लिए किया गया था। गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के सम्बन्ध में संस्थान द्वारा की गई अनुपालनात्मक कार्रवाई का अवलोकन करने के पश्चात पैरों की नवीनतम स्थिति निम्न प्रकार से है :–

लेखा परीक्षा प्रतिवेदन अवधि 04/1996 से 03/2001 तक

पैरा 8	निर्णीत	की गई अपेक्षित कार्यवाही की सत्यापन करने के पश्चात निर्णीत किया गया।

लेखा परीक्षा प्रतिवेदन अवधि 04/2002 से 03/2006 तक

पैरा 3	निर्णीत	अंकेक्षण शुल्क के भुगतान का सत्यापन कर लिया गया।
पैरा 4 (क)	समाप्त	निवेश, कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं थी।
पैरा 4 (ख)	समाप्त	वर्तमान अंकेक्षण में पुर्नप्रारूपण के दृष्टिगत समाप्त किया गया।
पैरा 5	निर्णीत	प्रस्तुत अभिलेख/अधिनियम के प्रावधानों के दृष्टिगत निर्णीत किया गया।
पैरा 6	निर्णीत	सम्बन्धित वर्ष 2005–06 की प्रवेश विवरणिका में दिए गए प्रावधान के दृष्टिगत निर्णीत किया गया।
पैरा 7	समाप्त	वर्तमान अंकेक्षण में पुर्नप्रारूपण के दृष्टिगत समाप्त किया गया।

भाग – दो

2 वर्तमान अंकेक्षणः–

राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (दिव्यांग) सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हि॰ प्र॰ के अवधि 4/2006 से 3/2016 के लेखाओं का वर्तमान अंकेक्षण जिसके परिणाम अनुवर्ती पैरों में दिये गए हैं, श्री दिनेश चन्द्र लखनपाल, अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनाँक 01.12.2016 से 30.12.2016 तक के दौरान संस्थान के कार्यालय में सुन्दरनगर में किया गया। अंकेक्षण हेतु आय की विस्तृत जांच के लिये माह 09/2006, 07/2007, 03/2009, 03/2010, 06/2010, 04/2011, 04/2012, 04/2013, 05/2014, व 07/2015 तथा व्यय की विस्तृत जांच के लिये माह 07/2006, 04/2007, 06/2008, 03/2010, 06/2010, 06/2011, 06/2012, 05/2013, 04/2014 व 06/2015 चयनित किये गए।

वर्तमान अंकेक्षण अवधि में निम्न प्रकार से प्रधानाचार्य तथा आहरण एवं वितरण अधिकारी कार्यरत रहेः–

प्रधानाचार्य तथा आहरण एवं वितरण अधिकारी व उनका कार्यकाल अवधिः–

प्रधानाचार्य	अवधि
श्री एस के लखनपाल	01–04–2006 से 02–05–2006
श्री आर एस सेन, उप नियन्त्रक (वित्त एवं लेखा), अतिरिक्त कार्यभार	03–05–2006 से 16–10–2006
ईन्जीनीयर सुनील शर्मा	17–10–2006 से 24–04–2009
ईन्जीनीयर आर एस बनयाल	25–04–2009 से 31–03–2016

यह अंकेक्षण एवं् निरीक्षण प्रतिवेदन संस्था प्रमुख तथा आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा अंकेक्षण को प्रस्तुत की गई सूचनाओं एवं् अभिलेख पर आधारित है। संस्था द्वारा किसी भी गलत सूचना के प्रस्तुत करने, किसी सूचना के प्रस्तुत न करने अथवा अपूर्ण सूचना प्रस्तुत करने की अवस्था में इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश का कोई उत्तरदायित्व नहीं है। विभाग का उत्तरदायित्व केवल अंकेक्षण की विस्तृत ज़ाँच हेतु चयनित मासों तक ही सीमित है।

3 अंकेक्षण शुल्कः–

राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (दिव्यांग) सुन्दरनगर के अवधि 4/2006 से 3/2016 के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क स्थापना व्यय के आधार पर ₹21,000/– (इक्कीस हजार रुपये) आंका गया है। इस शुल्क राशि को निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला–9 को मल्टीसिटी चैक/रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से शीघ्रातिशीघ्र भेजने हेतु अनुभाग अधिकारी (ले•प•) द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या अं.वृ. बिलासपुर/एल.ए.डी./2015–16/–240 दिनांकः 30/12/2016 द्वारा प्रधानाचार्य से अनुरोध किया गया।

4 (क) वित्तीय स्थितिः–

प्रधानाचार्य राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (दिव्यांग) सुन्दरनगर द्वारा अवधि 04/2006 से 03/2016 के लिए **परिशिष्ट –1** पर प्रस्तुत सूचना के आधार पर अंकेक्षणावधि के लिए संस्थान की वित्तीय स्थिति निम्नानुसार हैः–

वर्ष	अथशेष	आय	अर्जित ब्याज	कुल योग	व्यय	अन्तिम शेष
2006–07	447426	162075	16659	626160	84109	542051
2007–08	542051	286418	10438	838907	705078	133829
2008–09	133829	678417	5904	818150	155487	662663
2009–10	662663	586478	17529	1266670	652259	614411
2010–11	614411	806452	24153	1445016	762401	682615

2011–12	682615	1069350	33293	1785258	1233942	551316
2012–13	551316	1006854	34449	1592619	610996	981623
2013–14	981623	941164	55117	1977904	649773	1328131
2014–15	1328131	736444	42472	2107047	1183949	923098
2015–16	923098	601529	32420	1557047	546526	1010521

टिप्पणीः– वर्ष 2006–07 का प्रारम्भिक शेष रोकड़ बही के अनुसार है जिसका सत्यापन गत अंकेक्षण में किया गया था। इसमें उस समय के सत्यापित निवेश की राशि ₹39430/–शामिल नहीं है जिसके सन्दर्भ में गत अंकेक्षण प्रतिवेदन में आपत्ति भी उठाई गई थी। संस्थान द्वारा अंकेक्षण आपत्ति के बावजूद भी अभी तक निवेश राशियों को रोकड़ बही का भाग नहीं बनाया गया है। जिस कारण दिनांक 31–03–2016 को दर्शाए गए उपरोक्त तालिका के निधि शेष में उस दिन की निवेश राशि ₹13,24,879/– **(परिशिष्ट '2')** तथा ऐच• डी• ऐफ• सी• बैंक बचत खाता संख्या 50100110245996 का ₹1,01,224/–का शेष शामिल नहीं है।

(ख) बैंक समाधान विवरणीः– औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (दिव्यांग) सुन्दरनगर की निधियों की दिनांक 31–03–2016 को बैंक समाधान विवरणी निम्न प्रकार से हैः–

क्र	बचत खाते/निवेश का विवरण	दिनांक 31–03–2016 का अन्त शेष (₹)
1	सावधि निवेश का शेष **(परिशिष्ट '2')**	13,24,879
2	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला बचत खाता संख्या 55076226091 का शेष	10,10,521
3	ऐच डी ऐफ सी बैंक बचत खाता संख्या 50100110245996 का शेष	1,01,224
	सावधि जमा व बचत खातों का दिनांक 31–03–2016 का कुल शेष	**24,36,624**
	रोकड़ बही/वित्तीय स्थिति के अनुसार 31–03–2016 का ष्शेष	**10,10,521**
	अन्तरः रोकड़ बही/वित्तीय स्थिति में निवेश राशियों तथा एच डी ऐफ सी बैंक बचत खाता के शेष के रु15,12,032/–(13,24,879 + 1,01,224 = 15,12,032) को शामिल नहीं किए जाने के कारण यह अन्तर आया है।	**15,12,032**

5 बैंक समाधान विवरणी न बनाए जाने बारेः–

रोकड़ बही की नमूना जांच में पाया गया कि संस्थान द्वारा प्रत्येक मासान्त में छात्र निधियों की रोकड़ बही के अन्तशेष का बैंकों में उपलब्ध सावधी जमा तथा बचत बैंक खातों के शेष के साथ बैंक समाधान विवरणी बनाते हुए मिलान नहीं किया गया है। यह लेखांकन के

मूलभूत सिद्धांतों तथा प्रतिपादित वित्तीय नियमों की अवहेलना है। अतः इस बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य हेतु नियमानुसार बैंक समाधान विवरणी बनाकर रोकड़ बही के शेष का बैंको में उपलब्ध शेष से मिलान करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

6 **निवेशः–** प्रधानाचार्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (दिव्यांग) सुन्दरनगर अवधि 04/2006 से 03/2016 के लिए **परिशिष्ट '2'** में प्रस्तुत सूचना के आधार पर संस्थान द्वारा विभिन्न बैंकों में सावधी जमा में किए गए निवेश का विवरण निम्नानुसार हैः–

1	**बैंक**	**दिनांक 31.03.2016 को निवेशित राशि का मूल्य (₹)**
	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, सुन्दरनगर	6,45,436
	हि• प्र• रा• स• बैंक, सुन्दरनगर	6,79,443
	निवेश की गई राशियों का कुल योगः	**13,24,879**

7 **निवेश रजिस्टर बारेः–**

संस्थान द्वारा निवेश रजिस्टर का निर्माण तो किया गया है परन्तु इसमें पूर्ण अंकेक्षणावधि के लिए समस्त विवरण सहित प्रविष्टियां उपलब्ध नहीं थीं जिस कारण से सही समय पर किए गए पुर्ननिवेश अथवा अर्जित ब्याज की गणना की पुष्टि अंकेक्षण के दौरान नहीं की जा सकी है। अतः यह सुझाव दिया जाता है कि भविष्य हेतु निवेश रजिस्टर का निर्माण प्राथमिकता के आधार पर नियमानुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

8 **निवेश की गई राशियों तथा बचत खाते के** शेष **के ₹15.12 लाख की राशी को रोकड़ बही के** शेष **से बाहर करने बारेः–**

रोकड़ बही की नमूना जांच में पाया कि बैंक सावधी जमा में निवेश की गई राशि जिसका दिनांक 31–03–2016 को निवेश/पुर्ननिवेश मूल्य ₹13,24,879/–है को रोकड़ बही के अन्त शेष में शामिल नहीं किया गया है। इसी प्रकार ऐच डी ऐफ सी बैंक बचत खाता संख्या 50100110245996 में दिनांक 31–03–2016 के ₹1,01,224/–के अन्तशेष को भी रोकड़ बही से बाहर करते हुए अन्तशेष से बाहर कर दिया गया है। इस कारण से दिनांक 31–03–2016 को रोकड़ बही में निधि का वास्तविक शेष ₹24,36,624/–दर्शाने के स्थान पर ₹10,10,521/–दर्शाया गया है। इस चूक के कारण संस्थान की निधियों की रोकड़ बही लेखांकन के मूल सिद्धांतों के अनुसार संस्थान की वास्तविक एवं सम्पूर्ण वित्तीय स्थिति नहीं दर्शाती है। अतः इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए आवश्यक सुधारात्मक कार्यवाही करके

भविष्य में नियमानुसार कार्यवाही करना तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

9 निवेश की गई राशियों पर प्राप्त ब्याज की आय का रोकड़ बही में लेखांकन न करने बारेः–

संस्थान की छात्र निधियों की रोकड़ बही की जांच में पाया गया कि निवेश/पुर्ननिवेश की गई राशियों पर अर्जित ब्याज का लेखांकन रोकड़ बही में नहीं किया गया है। अर्जित ब्याज की आय का रोकड़ बही में लेखांकन न किया जाना प्रतिपादित वित्तीय नियमों तथा सरकार द्वारा समय समय पर जारी नियमों तथा दिशा निर्देशों की अवहेलना है। अतः इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार कार्यवाही करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

10 कालातीत छात्र प्रतिभूतियों की ₹5000/– की राशी को नियमानुसार जब्त न करने बारेः–

प्रतिवर्ष संस्थान में प्रवेश हेतु जारी प्रवेश विवरणिका में छात्र शुल्कों एवं निधियों के विवरण के नीचे दिए प्रावधानों में क्रमांक 7 पर छात्र प्रतिभूतियों के सन्दर्भ में लिखा गया है कि यदि छात्र संस्थान छोड़ने के पश्चात एक वर्ष तक प्रतिभूति वापिस किए जाने हेतु आवेदन नहीं करता है तो उसकी प्रतिभूती को जब्त करके 'विकास शुल्क एवं भवन निधि' का भाग बना लिया जाएगा। प्रधानाचार्य राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (दिव्यांग) सुन्दरनगर द्वारा **परिशिष्ट '3'** पर उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार अंकेक्षणावधि के दौरान ₹5000/–की राशी छात्र प्रतिभूतियों में से जब्त किए जाने योग्य थी जिसे नियमानुसार नहीं किया गया है। अतः इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए सुधारात्मक कार्यवाही करके भविष्य में नियमानुसार कार्यवाही करना तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

11 प्रतिपूर्ती के आधार पर किए गए ₹53,770/–के व्यय की वसूली न करनाः–

राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (दिव्यांग) सुन्दरनगर की छात्र निधियों की रोकड़ बही की चयनित माह के लिए नमूना अंकेक्षण जांच में पाया गया कि संस्थान द्वारा समय समय पर छात्र निधियों से ₹53,770/–का व्यय ऐसा किया गया है जो कि नियमानुसार इन निधियों पर उचित प्रभार नहीं था। परन्तु सक्षम प्राधिकारी द्वारा सामयिक आवश्यकता के दृष्टिगत अस्थाई प्रावधान के रूप में, बाद में उचित स्त्रोत से प्रतिपूर्ती के आधार पर, इस व्यय को छात्र निधियों से स्वीकृत किया गया था। लेकिन कई वर्षों के बाद भी अंकेक्षण के समय तक इस व्यय की प्रतिपूर्ती नहीं की गई है। जो कि एक अति गम्भीर चूक है। ऐसे कुछ प्रकरण जो कि नमूना अंकेक्षण जांच में सामने आए हैं का विवरण निम्न तालिका में दिया गया है। यह विवरण मात्र नमूना जांच से सम्बन्धित है अतः इसके अतिरिक्त भी किए गए इस प्रकार के व्यय का विस्तृत

विवरण संस्थान द्वारा अपने स्तर पर तैयार करके उसकी वसूली उचित स्त्रोत से करने के पश्चात अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

क्र	व्यय दिनांक	रो॰ ब॰ पृष्ठ	जिससे आपूर्ती की जानी थी	व्यय का उद्देश्य	राशी (₹)
1	23.2.2010	88	राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् सुन्दरनगर।	एन सी वी टी संस्थानों के निरीक्षण का यात्रा व्यय	5982
2	5.6.2010	93	–यथोपरि–	–यथोपरि–	4538
3	17.6.2010	94	–यथोपरि–	–यथोपरि–	5400
4	26.2.2013	29	संस्थान प्रबन्धन कमेटी (आई एम सी) औ. प्र. सं. सुन्दरनगर।	27.2.13 से 1.3.13 तक औ. प्र. सं. मण्डी में हुई खेलकूद प्रतियोगिता में छात्रों के भाग लेने का व्यय।	19650
5	5.6.2013	34	राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् सुन्दरनगर।	एन सी वी टी संस्थानों के निरीक्षण का यात्रा व्यय	720
6	6.6.2013	34	–यथोपरि–	–यथोपरि–	3000
7	2.8.2013	37	–यथोपरि–	–यथोपरि–	4200
8	21.11.2013	42	–यथोपरि–	–यथोपरि–	1080
9	9.1.2014	43	–यथोपरि–	–यथोपरि–	1260
10	3.3.2014	46	–यथोपरि–	–यथोपरि– (दो यात्राएं)	2100 840
11	21.7.2014	53	हि. प्र. तकनीकी शिक्षा बोर्ड	वार्षिक परीक्षा व्यय	5000
			कुल योगः–		**53770**

12 अस्थाई अग्रिमों के रजिस्टर का रख रखाव न करनाः–

अंकेक्षण के दौरान रोकड़ बही की नमूना जांच में पाया गया कि संस्थान द्वारा समय समय पर छात्रों के क्रीड़ा प्रतियोगिताओं में भाग लेने हेतु अथवा गत पैरा में वर्णित प्रकरणों में प्रतिपूर्ती के आधार पर व्यय करने हेतु छात्र निधियों से अस्थाई अग्रिम जारी किए गए हैं। परन्तु इन अग्रिमों के समायोजन अथवा प्रतिपूर्ती पर प्रबन्धकीय नज़र रखने हेतु किसी प्रकार का संकलित ब्यौरा/रजिस्टर संस्थान द्वारा अनुरक्षित नहीं किया जा रहा है। यह भी एक कारण है कि गत पैरा में वर्णित ₹53,770/– की राशी की प्रतिपूर्ती हेतु संस्थान द्वारा लगभग पिछले सात वर्षों से कोई प्रयत्न नहीं किया गया है। इस प्रकार के संकलित अभिलेख का संस्थान द्वारा अनुरक्षण न करना एक गम्भीर अनियमितता है जिसके सन्दर्भ में उचित स्पष्टीकरण सहित भविष्य हेतु नियमानुसार इस अभिलेख को तैयार करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

13 अस्थाई अग्रिमों के समायोजन का अनियमित तरीके से लेखांकन करनाः–

रोकड़ बही की नमूना अंकेक्षण जांच में पाया गया कि छात्र निधियों से जारी अस्थाई अग्रिमों को जारी करने तथा उनके समायोजन का लेखांकन संस्थान द्वारा एक ही दिनांक में जारी करने के दिन किया गया है हालांकि वास्तविक व्यय अग्रिम जारी करने के बाद के दिनों में किया गया है। जबकि नियमानुसार अग्रिम जारी करने तथा समायोजन की प्रविष्टि अलग

अलग दिनों में वास्तविक तिथियों के अनुसार की जानी अपेक्षित थी। अतः इस सन्दर्भ में उचित स्पष्टीकरण सहित भविष्य हेतु नियमानुसार कार्यवाही करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

14 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सन्धोल, जिला मण्डी के लिए किए गए ₹1,00,000/–के अनियमित व्यय बारेः–

रोकड़ बही में दर्ज व्यय की चयनित माह हेतु नमूना जांच में पाया गया कि पृष्ठ 118 पर दिनांक 07.06.2011 को निदेशक तकनीकी शिक्षा हि॰ प्र॰ के कार्यालय आदेश संख्या एस टी वी(आई टी) ऐच ऐफ(4)–4/2010–11–(पी ऐच) सुन्दरनगर – 21653 दिनांक 04.06.2011 की अनुपालना में संस्थान की छात्र निधियों से चैक संख्या 0167549 द्वारा ₹1,00,000/– की राशी राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सन्धोल को प्रतिपूर्ती आधार पर उधार दी गई थी। यह राशी उस समय नव–सृजित उक्त संस्थान के उद्घाटन व्यय को वहन करने के उद्देश्य से हस्तांतरित की गई थी जिसे उद्देश्य पूर्ती के पश्चात यथाशीघ्र वापिस लिया जाना अपेक्षित था परन्तु अंकेक्षण के समय तक यह प्रतिपूर्ती नहीं की गई थी। इस कारण से औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (दिव्यांग) सुन्दरनगर को पिछले पांच वर्षों से भी अधिक समय से छात्र निधियों में ब्याज की हानि उठानी पड़ रही है। अतः इस सन्दर्भ में उचित स्पष्टीकरण के अतिरिक्त इस अनुचित व्यय की प्राथमिकता के आधार पर उचित स्त्रोत से प्रतिपूर्ती सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

15 सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बिना किया गया ₹0.36 लाख का अनियमित व्ययः–

रोकड़ बही में दर्ज व्यय की चयनित माह हेतु नमूना जांच में पाया गया कि निम्न तालिका में दिए गए विवरणानुसार संस्थान द्वारा छात्र निधियों से ₹36,252/–का ऐसा व्यय किया गया है जो कि हिमाचल प्रदेश सरकार, तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा अधिसूचना संख्याः ई डी ऐन(टी ई)ए(3)2/2004 दिनांक 08.07.2010 द्वारा छात्र निधियों के व्यय के सन्दर्भ में जारी नियमों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत नहीं था। अतः इस व्यय के सन्दर्भ में उचित स्पश्टीकरण के अतिरिक्त इस अनुचित व्यय को प्राथमिकता के आधार पर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाना सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

क्र	व्यय दिनांक	रो॰ ब॰ पृष्ठ	व्यय का उद्देश्य	राशी (₹)
1	30.4.2015	61	हि॰ प्र॰ राज्य विद्युत परिषद् को नए बिजली कनैक्शन के बदले किया गया भुगतान।	28615
2	22.5.2015	61	संस्थान के छात्रों को दिनांक 23.5.2015 को मनाली में शैक्षणिक भ्रमण करवाने हेतु कुल ₹7637/– का व्यय किया गया था जिसमें से ₹2880/– का अनियमित भुगतान बिना किसी प्रावधान के 24 छात्रों को ₹120/–	7637

			प्रति छात्र की दर से दैनिक भत्ते के रूप में किया गया है।	
			कुल योगः–	**36252**

16 वाउचर नम्बरों का न लगाया जानाः–

वाउचर फाइलों की जांच में पाया गया कि व्यय वाउचरों में वाउचर क्रमांक नहीं लगाए गए हैं। यह हि•प्र• वित्तीय नियमों के प्रावधानों की अवहेलना है तथा उचित वाउचर क्रमांक के अभाव में अंकेक्षण में भी दिक्कतें आई हैं। अतः इस बारे तथ्यपूर्ण तरीके से वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित की जाए।

17 मांग एवं प्राप्ती रजिस्टर को न बनाया जानाः–

संस्थान को छात्रों से प्राप्त होने वाली छात्र निधियों की आय तथा उससे सम्बन्धित अभिलेख की नमूना जांच में पाया गया कि इस आय को नियन्त्रित करने तथा उसकी सम्पूर्ण वसूली पर नज़र रखने हेतु किसी प्रकार का मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर तैयार नहीं किया गया है। वर्तमान में छात्रों से प्राप्त की गई समस्त निधि राशियों को मात्र रोकड़ बही में लिखा जाता है। इसके अतिरिक्त कोई ऐसा अभिलेख संस्थान के पास उपलब्ध नहीं है जिससे यह पता लगाया जा सके कि किसी वर्ष के दौरान छात्रों द्वारा द्वारा कितनी निधि राशि देय थी तथा उसमें से कितनी वसूल की गई है। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सुन्दरनगर में मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर का अभिलेखन और भी आवश्यक हों जाता है क्योंकि यहां प्रवेश लेने वाले दिव्यांग छात्र स्वयं छात्र निधियों का भुगतान नहीं करते हैं बल्कि उनके सन्दर्भ में देय शुल्क एवं निधियां हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सामाजिक कल्याण विभाग के माध्यम से संस्थान द्वारा मांग किए जाने के पश्चात चुकाई जाती हैं। अतः इस सन्दर्भ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए इस अभिलेख का नियमानुसार प्राथमिकता के आधार पर तैयार किया जाना सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

18 क्रय की गई सामग्री/भण्डार का लेखांकन एक ही स्टॉक रजिस्टर में करने बारेः–

सरकार द्वारा सरकारी धन से खरीदे गए सामान के लेखांकन तथा भंडारण के संदर्भ में समय–समय पर जारी दिशा निर्देशों तथा सर्वमान्य प्रक्रियानुसार खरीदे गए सामान का लेखांकन उनके जीवनकाल तथा उपयोग अनुरुप स्थाई अथवा अस्थाई (Consumable or Non-consumable) भण्डार के रूप में अलग–अलग पुस्तकों में किया जाना अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त खरीदी गई प्रत्येक मद का इन्द्राज़ एक अलग पन्ने पर किया जाना चाहिए तथा क्रय की गई प्रत्येक वस्तु की पूर्ण मात्रा, उसका मूल्य तथा आपूर्तीकर्ता के बिल का पूर्ण विवरण भी भण्डारण पुस्तकों में लिखा जाना अपेक्षित है। परन्तु औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सुन्दरनगर में निधियों से खरीदे गए समस्त सामान का इन्द्राज़ एक ही स्टॉक रजिस्टर में निरन्तर क्रम से

दिनांकवार किया जाता है जो कि अनुचित है। अतः तुरन्त प्रभाव से नियमानुसार अलग–अलग स्थाई व अस्थाई भन्डारण पुस्तकें लगा कर प्रत्येक मद हेतु अलग–अलग पृष्ठ आबंटित करके सही तरीके से भण्डार का लेखांकन करना सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

19 भण्डार के प्रत्यक्ष सत्यापन बारेः–

हि• प्र• वित्तीय नियम 2009 के नियम 140 व 141 के अनुसार भण्डार का वार्षिक प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि संस्थान द्वारा दिनांक 30–05–2014 को अन्तिम बार भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन किया गया है। तदोपरान्त भण्डार का नियमानुसार प्रतयक्ष सत्यापन न करने बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

20 लघु आपत्ति विवरणिकाः– इसे पृथक से जारी नहीं किया गया।

21 निष्कर्षः– लेखाओं का रख रखाव काफी सीमा तक सही पाया गया है परन्तु अभी भी इसमें सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/–
सहायक निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

पृष्ठांकन सं0 :वित्त(ले0प0)मु0सी(15)11(3)–102/2004 खण्ड–1–1864–1864 दिनांकः 27.03.2017, शिमला–9

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :–

1 निदेशक, तकनीकी शिक्षा, व्यवसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सुन्दरनगर, हि0प्र0।

पंजीकृत 2 प्रधानाचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (दिव्यॉंग) सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

हस्ता/–
सहायक निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.